प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 03 दिसंबर, 2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद महोबा में नवीन जिला कारागार का निर्माण कराये जाने हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-28219/नम-2/महोबा नवीन कारागार(भाग-2)/2025, दिनांक 10.07.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-42/2023/111/2023/22-4-2023-140(ब)/97-1369563, दिनाँक 29.03.2023 द्वारा जनपद महोबा में नवीन जिला कारागार का निर्माण कराये जाने हेतु प्रायोजना की लागत धनराशि रू0 20342.99 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू0 2500.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति एवं शासनादेश संख्या-6/2024/001-1277/22-4-2023-1369563, दिनांक 17.01.2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि से परियोजना लागत के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 4000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति एवं शासनादेश संख्या-37/2024-738/22-4-2024-1369563, दिनांक 22.10.2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि से परियोजना लागत के सापेक्ष तृतीय किश्त की धनराशि रू0 7740.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति अर्थात कुल धनराशि रू0 14240.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3- अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद महोबा में नवीन जिला कारागार का निर्माण कराये जाने हेतु अवशेष धनराशि रू0 5085.8405 लाख की वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव पर श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(2) इस सम्बन्ध में परियोजना हेतु मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-42/2023/111/2023/22-4-2023-140(ब)/97-1369563, दिनाँक 29.03.2023 में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य / मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य / मद में किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जाएगा।

(5) प्रश्नगत परियोजना की समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी निरीक्षण आख्या दिनांक 01.04.2025 में उल्लिखित कमियों का निराकरण महानिरीक्षक कारागार द्वारा कराया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपभोग दिनाँक 31.03.2026 तक कर लिया जाएगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 50,85,84,050 (रुपये पचास करोड़ पचासी लाख चौरासी हजार पचास मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008000800 कारागारों का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव।

संख्या-58/2025-616-22-4-2025-1369563, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज |

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज ।

(3) मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

(4) जिलाधिकारी, महोबा।

(5) कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।

(6) अधीक्षक/वरिष्ठ जेल अधीक्षक महोबा।

(7)निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(8) निजी सचिव, मा० मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।

(9) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय व्यायक) अनुभाग-1/2

(11) गाई फाईल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in